न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 103/2024 G.C.M.S. No. 2024/471 दर्ज दिनांक : 08.10.2024

अपीलार्थिगण:

1. भलीया पुत्र देवाराम जाति पटेल
2. भेराराम पुत्र राजाराम जाति पटेल
3. मगनाराम पुत्र राजाराम जाति पटेल
4. वागाराम पुत्र राजाराम जाति पटेल निवासीगण, माण्डावास, तहसील रोहट, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. प्यारीदेवी पत्नि खीमाराम जाति पटेल, निवासी माण्डावास, तहसील रोहट, जिला पाली।
2. केलीदेवी पत्नि कालूराम जाति पटेल, निवासी माण्डावास, तहसील रोहट, जिला पाली।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रोहट, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 13/2022 बअनवान प्यारीदेवी वगैरह बनाम भलीया वगैरह में पारित आदेश दिनांक 06.09.2024

पैरोकार–

1. श्री सूर्यप्रकाश पंवार, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित।
3. सरकारी पैरोकार रेस्पोंडेंट संख्या 3

निर्णय

दिनांक: 30.06.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 13/2022 बअनवान प्यारीदेवी वगैरह बनाम भलीया वगैरह में पारित आदेश दिनांक 06.09.2024 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि राजस्व ग्राम माण्डावास तहसील रोहट में कृषि भूमि मूल खसरा नं0 352 रकबा 118 बीघा 03 बिस्वा स्थित है। जिसमें से सड़क निकल जाने के कारण 05 बीघा 06 बिस्वा भूमि सड़क में चली गई व 112 बीघा 17 बिस्वा भूमि शेष रही सड़क को खसरा नं0 352 से दर्शाया गया व खसरा नं० 352/1 रकबा 27 बीघा (4.3706 हैक्टेयर) सड़क के उत्तर में रहा तथा सड़क के दक्षिण में खसरा नं0 809/352 रकबा 85 बीघा 17 बिस्वा (13.8967 हैक्टेयर) रहा। दोनों ही खसरा नम्बरों में मूल खातेदारान एवं उनके वारिसों के नाम दर्ज किये जाते रहे। सम्पूर्ण भूमि में देवा पुत्र केना का 1/7 हिस्सा था,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

देवा के तीन पुत्र राजाराम, लूम्बाराम व भलाराम हुआ जिनमें से राजाराम फौत हो चुके हैं एवं उनके पुत्र वर्तमान अपील में अपीलार्थी संख्या दो से चार है तथा भलाराम पुत्र देवा अपीलार्थी संख्या एक है। तीसरे पुत्र लूम्बा पुत्रदेवा है। जिन्होंने अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपनी पुत्र वधुओं वर्तमान रेस्पोंडेन्ट संख्या एक व दो के पक्ष में बक्शीश कर दिया एवं उनका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया गया। लूम्बा पुत्र देवा शुरू से ही खसरा नं० 809/352 में काबिज रहे एवं वहीं पर वे खेती करते है एवं ढाणी बनी हुई है। वर्तमान अपीलार्थीगण शुरू से ही खसरा नं0 352/1 पर काबिज रहे हैं एवं उनकी रहवासीय मकान इत्यादि वहां पर बने हुए है। रेस्पोंडेन्ट संख्या एक व दो ने विचारण न्यायालय में खसरा नं0 352/1 की भूमि के विभाजन हेतु वाद पेश किया उक्त वाद में एक प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया जिस प्रार्थना पत्र पर दिनांक 07.06.2024 को एकतरफा अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की गई। दिनांक 05.07.2024 को वर्तमान अपीलार्थी की ओर से वकालतनामा पेश किया गया एवं जबाब हेतु समय लिया गया। आगामी पेशी दिनांक 16.08.2024 मुकर्रर की गई। उस दिन पीठासीन अधिकारी राजकार्य में व्यस्त थें। इस कारण आगामी पेशी दिनांक 06.09.2024 मुकर्रर की गई एवं उसी दिन प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटी एक्ट का निर्णय कर दिया गया एवं दिनांक 07.06.2024 को जारी एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 07.06.2024 को मूल वाद का निस्तारण पुख्ता कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को प्रार्थना पत्र का जबाब पेश करने का अवसर ही नहीं दिया एवं जल्दबाजी में फैसला कर दिया। दिनांक 06.09.2024 को पत्रावली में पेशी प्रार्थना पत्र के जबाब हेतु मुकर्रर थीं। सुनवाई हेतु मुकर्रर थी ही नहीं एवं जब अपीलार्थी के अधिवक्ता पेशी पर गये तो उसे बता दिया गया कि पत्रावली का निर्णय कर दिया गया। इस प्रकार जल्दबाजी में जो निर्णय किया गया वह निरस्त करने योग्य है। इसके साथ ही अधिनस्थ न्यायालय का आदेश कानून की नजर में कोई आदेश ही नहीं है। आदेश में न तो कोई कारण दर्शाये गये है एवं न किसी बिन्दू पर कोई निष्कर्ष दिया गया है। केवल दो पंक्ति का आदेश लिखा गया है, जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा सम्बन्धी प्रार्थना पत्र का निर्णय एक स्पीकिंग आदेश के जरिये किया जाना आज्ञापक था। जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने सम्बन्धी सभी बिन्दुओं पर निष्कर्ष एवं निर्णय दिया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त रेस्पोंडेन्ट वर्षों से खसरा नं0 809/352 पर काश्त करते हैं एवं लुम्बाराम का शुरू से वहीं पर कब्जा है एवं ढाणी है। खसरा नं0 352/1 की भूमि पर रेस्पोंडेन्ट का अथवा लुम्बाराम का कोई कब्जा नहीं हैं,

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

बल्कि वहां पर अपीलार्थीगण के रहवासीय मकानात बने हुए हैं। जिनके रंगीन छाया चित्र अपील के साथ पेश किये जा रहे हैं। इसके साथ ही स्वयं लुम्बाराम ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा जानबूझकर अपनी पुत्र वधुओं रेस्पोंडेन्ट संख्या एक व दो के पक्ष में बक्शीश कर दिया एवं उस बक्शीशनामे के आधार पर जो राजस्व रेकर्ड तैयार किया गया, उसी को आधार मानकर वाद पेश किया गया है। रेस्पोंडेन्ट ने सही तथ्यों को छुपाया है एवं वाद में गलत बयान दिये है। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को जबाब पेश करने का माकुल अवसर दिया जाता तो वह जबाब में सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट करता एवं पत्रावली पर कब्जे सम्बन्धी शहादत भी पेश करते, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जल्दबाजी में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जोकि विधिविरूद्ध एवं सर्वथा निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलांट्स के विरूद्ध वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि के बंटवाड़ा बाबत वादपत्र के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई हैं।
2. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात उभयपक्षकारान की अविभाजित सहखातेदारान भूमि है।
3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 07.06.2024 को अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनकर प्रकरण में अपीलांट्स अप्रार्थीगण के विरूद्ध आगामी पेशी तक वादग्रस्त आराजीयात का रहन, बेचान नहीं करने व किसी प्रकार का निर्माण नहीं करने व प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त में दखलअंदाजी नहीं करने बाबत एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई। तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.09.2024 द्वारा प्रकरण का विवेचन किए बिना तथा अपने विनिश्चय का कारण दर्शित किए बिना प्रकरण में पारित स्थगन आदेश दिनांक 07.06.2024 को मूल वाद के निस्ताय्म तक पुख्ता करते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर दिया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

4. यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरणों में आवश्यक तीन मूलभूत बिंदुओं यथा प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के आधार पर प्रकरण का विस्तृत विवेचन करते हुए अपने स्पष्ट अभिमत के साथ यदि तीनों बिंदु बखूबी साबित होते हैं। केवल उसी दशा में ही अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जा सकते हैं। हस्तगत प्रकरण में इसका सर्वथा अभाव पाया गया।
5. प्रकरण के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में वादग्रस्त आराजीयात के मौके की अद्यतन रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने के बावजूद विद्वान विचारण न्यायालय दिनांक 07.06.2024 को अंतरिम अस्थाई व्यादेश पारित किया गया तथा जिसे अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.09.2024 द्वारा ताफैसला वाद पुख्ता कर दिया गया। जो पूर्णतया विधिविरूद्ध व अस्वीकार्य है।
6. वादग्रस्त आराजीयात अविभाजित सहखातेदारी भूमि हैं तथा प्रकरण में रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 प्रार्थीगण द्वारा एकतरफ अपीलांट्स को किसी विशिष्ट भूभाग पर निर्माण आदि नहीं करने तथा बेचान आदि नहीं करने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहा है। वहीं दूसरी ओर रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया कि वादग्रस्त आराजीयात के विशिष्ट भूभाग पर उसका कब्जाकाश्त है। जिस पर अपीलांट्स दखलअंदाजी करने पर उतारू है, जिन्हें रोका जावें। रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 के उक्त कथन परस्पर विरोधाभासी होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार्य है।

चूंकि उभयपक्षकारान वादग्रस्त आराजीयात के अभिलिखित सहखातेदार है तथा ऐसी स्थिति में किसी एक या अधिक सहखातेदार के निवेदन पर अन्य सहखातेदारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता तथा ऐसा किया जाना अभिलिखित सहखातेदारान को अपने काश्तकारी अधिकारों के उपयोग–उपभोग से वंचित करने की श्रेणी में आता है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उपर्युक्त विवेचन में प्रकट तथ्यों व कथनों पर गौर किए बिना यांत्रिक रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो विधि की दृष्टि से स्वीकार योग्य नहीं हैं।
8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारे विनम्र मत में अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 13/2022 बअनवान प्यारीदेवी वगैरह बनाम भलीया वगैरह में पारित आदेश दिनांक 06.09.2024 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की

Scanned with OKEN Scanner

जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **30.06.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ० भास्कर विनोदी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner